बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– /पटना, दिनांक–

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न–भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरुप निविदा दस्तावेजों में एकरुपता नहीं रहती है। इसी प्रकार विभाग में महत्त्वपूर्ण सिंचाई / बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु वर्त्तमान प्रावधानों/प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि एस0बी0डी0 के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका कुप्रभाव योजनाओं की प्रगति पर हो रहा है एवं परिवादों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसी प्रकार एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्य को पूरा करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते है, जो प्रायः अपूर्ण रहते है। विभिन्न मानक एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में समयवृद्धि की स्वीकृति दिए जाने के साथ–साथ विस्तारित अवधि के लिए Price Neutralization की देयता पर भी विचार किया जाना होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में Contract Management से संबंधित निम्न विषयों पर निम्नवत् मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे है:–

1. **समयवृद्धि की स्वीकृतिः–**

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1749 दिनांक 09.08.2004 में वर्णित व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात जिन निविदाओं का निष्पादन विभागीय निविदा समिति द्वारा किया जाता है, उनकी अवधि विस्तार की स्वीकृति विभागीय स्तर पर माननीय मंत्री, जल संसाधन के स्तर से की जायेगी। शेष के संबंध में लोक निर्माण संहिता द्वारा निविदा निस्तार की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

किसी कार्य विशेष को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु एस0बी0डी0 के सेक्सन–3 General Conditions of Contract के कंडिका 2 एवं 5 में क्रमश Compensation for delay (Liquidated damage) & Time and Extension for Delay के लिए प्रकिया का निर्धारण है। इन कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों एवं इनको लागू करने हेतु निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे :–

1.1.1 Non working period को भी समाहित करते हुए योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि का Realistic आकलन कर लिया जाय।

1.1.2 चालू कार्यों में यदि कार्य पूर्ण करने की अवधि में Non working period भी समाहित है तो समयवृद्धि की स्वीकृति के प्रस्ताव में एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि के बीच Non working period संबंधी सूचना अंकित की जाय।

1.1.3 समयवृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव यदि मानक एकरारनामा में अंकित अवधि से विलम्ब से प्राप्त होता है तो तत्संबंधी साक्ष्य के साथ कारण बताया जाय।

1.1.4 एकरारनामा के प्रावधानों के अधीन संवेदक द्वारा प्रस्तावित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित O.I.S (Work Programme) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्धारित माईल स्टोन में कार्य के दौरान उत्पन्न अवरोधों के समाधान हेतु क्षेत्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई का विवरण।

1.1.5 प्रत्येक एकरारनामा के विरूद्ध प्रमंडल में एक रजिस्टर(Encumbrance Register) मेन्टेन किया जाय, जिसमें उत्पन्न बाधा की तिथि एवं इसे दूर किये जाने की तिथि अंकित रहेगी, जो इंजीनियर इंचार्ज द्वारा प्रमाणित होगी।

1.1.6 उत्पन्न अवरोधों को दूर करने हेतु संवेदक द्वारा संबंधित प्रमंडलों/अन्य संबंधित कार्यालयों को ससमय दी गई सूचना का विवरण ।

1.1.7 उक्त अवरोधों को दूर करने हेतु संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास का विवरण साक्ष्य सहित।

1.1.8 निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं होने के कारणों को चिन्हित कर उनके समर्थन में स्पष्ट एवं स्वीकार योग्य साक्ष्य ।

1.1.9 अवरोधों के कारण कितने कार्य दिवस तक कार्य प्रभावित रहा एवं उसके समानुपातिक अवधि विस्तार का प्रस्ताव है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

1.1.10 संवेदक के द्वारा वॉछित मशीनरी, लेबर, सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण कितने कार्य दिवसों तक कार्य प्रभावित हुआ, इस आशय की सूचना समय वृद्धि स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ अवश्य ही दी जाय।

1.2 एस0बी0डी0 के कंडिका 5.2 के प्रावधानों की व्याख्या निम्नवत् है:–

1.2.1 Force majeure का तात्पर्य अप्रत्याशित बाढ़/ भूकम्प/ जो मानव के नियंत्रण में नहीं है।

1.2.2 नक्सल गतिविधि/गम्भीर कानून व्यवस्था मामलों के कारण गम्भीर हानि या नुकसान/क्षति (Damage),

1.2.3 अन्य संवेदक/अन्य विभाग/ utilities द्वारा किया जा रहा कार्य, जिसके ससमय पूरा नहीं होने के कारण विषयांकित कार्य प्रभावित हुआ,

1.2.4 नहरों के पुनर्स्थापन कार्य की स्थिति में खरीफ, रब्बी, गरमा अथवा छठ पर्व हेतु जलापूर्त्ति के कारण प्रभावित कार्य दिवस,

1.2.5 कार्य के वैसे भाग(चैनेज सहित) जो (क) भूमि अधिग्रहण (ख) utility shifting (Electric pole shifting etc.) (ग) Forest/Environmental clearance (घ) भू–धारियों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न गम्भीर विधि व्यवस्था से प्रभावित है,

1.2.6 एकरारनामा के परिमाण विपत्र में अंकित मात्रा के अतिरिक्त आदेशित (Enhanced, Extra, substituted items) कार्य,

1.2.7 अन्य विशेष प्रकृति के स्वीकार्य कारण जिनका पूर्वानुमान संभव नहीं था।

2. **<u>Price neutralisation की देयता</u>**

परिमाण विपत्र की राशि के विरूद्ध विभिन्न कार्य मदों में सीमेंट, स्टील, बिटुमिन, श्रमअंश, पी0ओ0एल0, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अन्य अवयवों की राशि के प्रतिशत की गणना कर Schedule E में अंकित कर दिया जाय।

2.1.1 SBD आधारित वैसे कार्य जिनको पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह अथवा 18 माह से कम है एवं 10 CA लागू है, के उपर्युक्त कंडिका 1.2 में

अंकित कारण/कारणों से समय वृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए Price neutralisation देय होगा यानि विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी Price neutralisation देय होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

2.1.2 कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त समय एवं मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की अवधि का योग 18 माह से अधिक हो जाता है तो 10 CC लागू नहीं होगा।

2.2 SBD आधारित वैसे कार्य जिनको पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह से अधिक है एवं 10 CC लागू है, के उक्त कंडिका 1.2 में अंकित कारण/कारणों से समय वृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए Price neutralisation देय होगा यानि विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी Price neutralisation देय होगा।

2.2.1 उक्त कंडिका 1.2 में अंकित कारण/कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट कारणों से समय वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो विस्तारित अवधि के लिए कोई Price neutralisation देय नहीं होगा अर्थात एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

3. मुख्य अभियंता अपने स्तर से समय वृद्धि की अनुशंसा भेजते समय इस आशय का उल्लेख अवश्य करेंगे कि कार्य के दौरान आई अवरोधों के समाधान हेतु कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गई है तो साक्ष्य के साथ उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा भी करेंगे।

4. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

Y Singh
14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक—1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012— 197 /पटना, दिनांक— 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक—1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012— 197 /पटना, दिनांक— 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)